राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक :– प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015 जयपुर, दिनांक :– 14-08-2017.

संशोधित बैठक सूचना

निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की गत वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह जुलाई, 2017 की प्रगति की समीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणवश निरस्त करते हुए आगामी बैठक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2017 को प्रातः 10:00 बजे से सायः 6:00 बजे तक इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्राविप्र) की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के सन्दर्भ में निम्न दिशा–निर्देश दिये जाते है।

1. विभिन्न योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा योजनावार/ब्लॉकवार की जावेगी। ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा IWMS पर दर्शाई गयी प्रगति के आधार पर होगी। अप्रारम्भ कार्यो, अपूर्ण कार्यो, यूसी/सीसी पेन्डिंग पर विशेष चर्चा होगी।
2. वीडियों कॉन्फ्रेन्स दिनांक 19.04.2017 एवं गत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की कार्यवाही विवरण की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 23.08.2017 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त प्रभारी अधिकारियों से निवेदन है कि आप अपने अनुभाग से संबंधित समस्त योजनाओं में विचारणीय बिन्दु एवं एजेण्डा तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भिजवावें एवं योजनाओं के सम्बंध में चर्चा योग्य बिन्दुओं का प्रजेटेशन तैयार कर सॉफ्ट कॉपी ई–मेल **(pdme2k_rdd@yahoo.com)** द्वारा इस अनुभाग को दिनांक 23.08.2017 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, साथ ही समस्त योजना प्रभारी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेने का श्रम करें।

बैठक दिनांक 30.08.2017 का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

समय	विषय–वस्तु	संदर्भ व्यक्ति
9:00AM To 9:30 AM	रजिस्ट्रेशन	मोनिटरिंग एण्ड मूल्यांकन अनुभाग टीम
9:30AM To 09:45 AM	उद्बोधन	माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि अति.मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि
9:45AM To 11:30APM	1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना 2. सामाजिक अंकेक्षण	शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण
11:30AM To 11:45 AM	टी ब्रेक	
11:45AM To 01:30 PM	ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा	शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय
01:30PM To 2:30PM	लंच ब्रेक	
02:30PM To 04:30PM	पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा स्वच्छ भारत अभियान	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग निदेशक, सीसीडीयू, पं.राज
04:30PM To 5:15 PM	जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग की योजनाएं	निदेशक, जलग्रहण एवं भूसरंक्षण विभाग
5:15PM To 6:00 PM	मुख्य कार्यकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सामूहिक चर्चा एवं फीड़बैक	

विस्तृत बैठक एजेण्ड़ा योजना प्रभारियों द्वारा अलग से प्रेषित किया जायेगा।

14.8.17
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)
कृ.पृ.उ.

Bhargav Ji E:\M&E-8\M&E-8\prem sudha madam\ceo meeting notice.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महानरेगा।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
5. अति. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महानरेगा।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी-I एवं II/मो. एवं मू./महानरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है **कि उक्त बैठक में सूसंगत सूचनाओं के साथ भाग ले एवं जिले से किसी भी योजना प्रभारी/कार्मिक को साथ नहीं लेकर आवें।**
10. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
11. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिग), पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अपने साथ--साथ पंचायतीराज विभाग के समस्त योजना प्रभारी को तद्नुसार सूचित करावें।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
13. **एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड़ करने हेतु।**
14. सहायक निदेशक (प्रचार), ग्रा वि एवं पं.राज

14.8.17

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

Bhargav Ji E:\M&E-8\M&E-8\prem sudha madam\ceo meeting notice.docx